

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण ।

1. संगठन एवं कार्य

1.1 संगठन के कार्य एवं इसके कर्तव्य का विवरण:-

(i) संगठन का नाम एवं पता:-

प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स (विधान सभा मेट्रो स्टेशन के पीछे)
दिल्ली-110054.

(ii) संगठन प्रमुख :-

श्री संजय सिंह, प्रकाशन नियंत्रक

(iii) दृष्टि, मिशन और मुख्य उद्देश्य:

सरकार को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी केंद्रीकृत सरकारी प्रकाशनों के पेशेवर प्रकाशक, संरक्षक और वितरक के रूप में विकसित करना ।

प्रकाशन विभाग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- मांगकर्ताओं/ग्राहकों को त्वरित और समय पर सेवाएं प्रदान करना ।
- बिक्री एवं कुशल वितरण कार्य को बढ़ाना ।
- मंत्रालयों/विभागों से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करना ।
- सरकारी प्रकाशनों की कुशलतापूर्वक मुद्रण हेतु भारत सरकार के संबंधित मुद्रणालयों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन करना ।
- प्रकाशनों की बिक्री और निविदा सूचनाओं के प्रकाशन द्वारा भारत की समेकित निधि के राजस्व में वृद्धि करना ।

(iv) कार्य एवं कर्तव्य-

- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रकाशनों और पत्रिकाओं / का प्रकाशन, भंडारण, बिक्री और वितरण ।
- भारत के राजपत्र का प्रकाशन ।
- विभिन्न विभागों/पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करना/मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों/, प्रकाशन के लिए प्रतीक चिन्ह जारी करना ।
- पत्रिकाओं में प्रविष्टि हेतु विज्ञापन सुरक्षित करना अर्थात् भारत का राजपत्र भाग IV ।
- सेना के प्रकाशनों का भंडारण और रक्षा इकाइयों का वितरण ।
- निजी सरकारी एजेंसियों को प्रकाशनों की आपूर्ति तथा उनके खातों का रखरखाव करना और / बुक डिपो का संचालन करना ।/विभाग के बिक्री आउटलेट
- समय पर बिलों को बनाना और उनकी वसूली करना ।
- बिक्री संवर्धन गतिविधियों के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी/ ।

(v) संगठन चार्ट - अनुबंध ।

(vi) संगठन संरचना

प्रकाशन विभाग की स्थापना अप्रैल 1924 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई , जिसका नेतृत्व प्रकाशन नियंत्रक करते हैं, जिसे एक वित्तीय अधिकारी, एक सहायक नियंत्रक (प्रशासन) और एक सहायक नियंत्रक (वाणिज्य) द्वारा सहायता प्रदान की जाता है। प्रकाशन विभाग भारत सरकार की पुस्तकों का सबसे बड़ा भंडारक है जिसमें 8000 (आठ हजार) से अधिक शीर्षक (विभिन्न पत्रिकाओं, राजपत्र अधिसूचना और आर्मी प्रकाशनों को छोड़कर) शामिल हैं।

प्रकाशन नियंत्रक भारत सरकार के प्रकाशनों का अधिकृत प्रकाशक, संरक्षक और वितरक है। यह आम जनता के साथ-साथ सरकारी विभागों के अधिकारिक प्रकाशनों की जरूरतों को पूरा करता है।

- (क) विभाग में निम्नलिखित शामिल हैं:-
प्रकाशन नियंत्रक का मुख्य कार्यालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली - 110054
- (ख) बिक्री पटल/आउटलेट:-
1. किताब महल, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली
2. भारत सरकार बुक डिपो, 8 के.एस. रॉय रोड, कोलकाता
3. बिक्री पटल, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बैंगलोर - 34
- (ग) बिक्री पटल:-
1. बिक्री पटल, मुख्य कार्यालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
2. बिक्री पटल, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

1.2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य (खंड 4 (I)(ख)(iii)]4 (1) (ख) (ii) -

(i) अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) विवरण अनुबंध -II में दिया गया है।

(ii) अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :-

प्रकाशन विभाग की नियमावली में विभिन्न पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निर्दिष्ट हैं। प्रकाशन विभाग के अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिए गए विवरण के अनुसार है।

(iii) आदेश जिसके अंतर्गत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और-

नोडल मंत्रालयों और कार्मिक विभाग, वित्त, रक्षा, कानून मंत्रालय और हमारे मुख्य आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।

(iv) अभ्यास - ऊपर बिंदु (iii) का संदर्भ लें

(v) कार्य आबंटन - अनुबंध -II ।

1.3 निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया [खंड 4 (I)(ख)(iii)]

प्रकाशन विभाग में विभिन्न मुद्दों पर निर्णय नोडल मंत्रालयों और कार्मिक विभाग, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय और हमारे मुख्य आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं।

1.4 कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [खंड 4 (1)(ख)(iv)]-

(i)	प्रदत्त कार्यों/सेवाओं की प्रकृति	भारत के राजपत्र में नाम, धर्म आदि परिवर्तन का प्रकाशन, विभिन्न सरकारी प्रकाशनों, राजपत्रों और सेना प्रकाशनों की बिक्री, भंडारण और वितरण।
(ii)	कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानक/मानदंड	यह जानकारी इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.deptpub.nic.in पर उपलब्ध है अन्य लिंकों पर वार्षिक कार्य योजना शीर्षक दिया गया है।
(iii)	प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है	इन सेवाओं तक इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.deptpub.nic.in और www.egazette.gov.in के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
(iv)	लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय सीमा	यह जानकारी इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.deptpub.nic.in पर तथा वार्षिक कार्य योजना शीर्षक वाले अन्य लिंक पर उपलब्ध है।
(v)	शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया	संपूर्ण सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर लोक शिकायत मामलों का निपटान करना।

1.5. नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए [खंड 4 (1)(ख)(v) प्रयोग किए जाते हैं :-

प्रकाशन विभाग में कार्यों का निपटान और कार्यों का निर्वहन विभिन्न नोडेल अधिकारियों जैसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, विधि मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय आदि द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों द्वारा शासित होता है। प्रकाशन विभाग में आंतरिक रूप से कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रकाशनों को भी संदर्भित किया जाता है :-

- (i) प्रकाशन विभाग की नियमावली (विभाग में उपलब्ध)
- (ii) भारत सरकार प्रकाशन विभाग के कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं विभागीय निर्देश। (विभाग में उपलब्ध)
- (iii) समूह "ग" और "घ" के लिए भर्ती नियम (विभाग में उपलब्ध)।
- (i) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानान्तरण नीति।

1.6. प्राधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [खंड 4 (1)(ख)(vi)

(i) प्रकाशन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की फाइलें, व्यक्तिगत सेवा पुस्तिकाएं, गोपनीय रिपोर्ट ।

(ii) खरीद फाइलें/अभिलेख/बांड/समझौते/सुरक्षा जमा।

(iii) विभिन्न मुद्रणालयों के माध्यम से किए गए मुद्रण कारिकॉर्ड ।

(iv) भुगतान बिल रजिस्टर

(v) प्रकाशन विभाग के विविध रिक्ॉर्ड ।

(vi) विभिन्न श्रेणियों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र केसों की सूची ।

(vii) अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची

ये सभी दस्तावेज़ सहायक नियंत्रक (प्रशासन) वित्तीय अधिकारी और सहायक नियंत्रक (वाणिज्य) के अधीन रखे गए हैं ।

1.7 सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड परिषदें, समितियां और अन्य निकाय [खंड 4 (I)(ख)(viii)]

जैसा कि अनुबंध- III में उल्लिखित है

1.8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [खंड 4 (I)(ख)(ix)]

जैसा कि अनुबंध IV में उल्लिखित है ।

1.9. मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [खंड 4(1) (ख)(x)]:-

जैसा कि अनुबंध V में उल्लिखित है ।

1.10. जन सूचना अधिकारियों का नाम पदनाम एवं अन्य विवरण [खंड 4(1)(ख)(xvi)]:-

श्रीमती लुसी ज्योति बेक, सहायक नियंत्रक (वाणिज्य), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, टेलीफोन नं. 011-23813761 ईमेल acop-dep@nic.in

श्री नरेश कुमार शर्मा, वित्तीय अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, टेलीफोन नंबर 011-23813762 fo-dep@nic.in

अपीलीय प्राधिकारी

श्री संजय सिंह, प्रकाशन नियंत्रक, अपीलीय प्राधिकारी

टेलीफोन 011-23812527, ईमेल cop-dep@nic.in

1.11. उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है [खंड 4 (I)(ख)(iii)]4(2)]

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है - शून्य

(i) लघु दंड या प्रमुख दंड की कार्यवाही के लिए लंबित - शून्य

(ii) लघु दंड या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया - शून्य

1.12 आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (खंड 4 (I)(ख)(iii)]26)-एनए

1.13. स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश (एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013)

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ।

स्थानांतरण आदेश इस विभाग की वेबसाइट www.deptpub.nic.in के होम पेज - अन्य लिंक - कार्यालय ज्ञापन पर उपलब्ध हैं।

2. बजट एवं कार्यक्रम

2.1 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट। [खंड 4 (I)(ख)(iii)] 4(1)(ख) (xi)]

(i) कुल स्वीकृत बजट अनुमान 2023-24 ----19.25 करोड़।

(ii) प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रम के लिए बजट ----गैर-योजना बजट

इस विभाग को आवंटित बजट विभाग की वेबसाइट अर्थात www.deptpub.nic.in पर उपलब्ध है।

2.2 विदेशी एवं घरेलू दौरे (एफ.नं. 1/8/2012-आईआर दिनांक 11.9.2012)

घरेलू यात्रा व्यय उपशीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत बजट अनुमान 2023-24 - रु. 5 लाख.

2.3 सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [खंड 4(i)(ख)(xii)]

लागू नहीं

2.4 विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.4.2013]

लागू नहीं

2.5 सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, प्राधिकरण परमिट प्राप्तकर्ताओं का विवरण [खंड 4(i)(बी)(xiii)]

इस विभाग के प्रतिबंधित एजेंटों को पुस्तकों की बिक्री पर 20% छूट की अनुमति है। नियमित एजेंटों को 25% की छूट दी जाती है। सरकारी पार्टियों को 15% की छूट दी जाती है। पुस्तक मेले में सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जाती है।

2.6 सीएजी एवं पीएसी पैरा [एफ.सं. 1/6/2011 - आईआर दिनांक 15.4.2013]

(i) पीएसए 2021-22 ----10

(ii) सीएजी लेनदेन लेखापरीक्षा 2021-22 } ----19

(iii) सीएजी लेनदेन लेखापरीक्षा 2012-21 ---

-04

सभी जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को भेज दिये गये हैं।

1. प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस

3.1 नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [खंड 4 (I)(ख)(iii)]4(i)(बी)(vii)][एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.04.2013]

एजेंटों के साथ निरंतर विचार-विमर्श किया जाता है और सरकारी प्रकाशनों की बिक्री के संदर्भ में परामर्श और नीति आदि में बदलाव के लिए कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित की जाती है।

3.2 क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का विवरण के बारे में उन्हें सूचित किया जाता है [खंड 4 (I)(ख)(iii)]4(i)(c)]

यह विभाग आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए नीतियों/निर्णय जो जनता को प्रभावित करते हैं, उन्हें विभाग की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से सूचित किया जाता है।

3.3 सूचना का व्यापक रूप से और उप-रूप और तरीके से प्रचार-प्रसार जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [खंड 4 (I)(ख)(iii)] 4(3)]

यह विभाग ईमेल, फैक्स आदि ई-सेवाओं के माध्यम से जनता से संवाद करता है।

3.4 सूचना मैन्युअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रपत्र [खंड 4(i)(ख)]

सूचना पुस्तिका/हैंडबुक मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध है।

3.5 सूचना पुस्तिका /हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [खंड 4 (I)(ख)(i)]

सूचना पुस्तिका ली /हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है।

4. ई.गवर्नेंस

4.1 भाषा जिसमें सूचना पुस्तिका /हैंडबुक उपलब्ध है [एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.04.2013]

सूचना पुस्तिका/हैंडबुक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।

4.2 सूचना पुस्तिका /हैंडबुक को अंतिम बार कब अद्यतन किया गया था? [एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.04.2013]-जून 1992

4.3 सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है [खंड 4(i)(ख)(xiv)]

प्रकाशन विभाग के बारे में जानकारी इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.deptpub.nic.in पर उपलब्ध है।

4.4 नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [खंड 4(i)(ख)(xv)]

1. वर्ष 1950 से आज तक की भारत का राजपत्र अधिसूचना इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.egazette.nic.in पर उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति इन अधिसूचनाओं को वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।

2. प्रदर्शनी हॉल जहां सरकारी प्रकाशनों/पत्रिकाओं की नमूना प्रतियां प्रदर्शित की जाती हैं।

3. इस विभाग के स्वागत कक्ष में आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है।

4.5 ऐसी अन्य जानकारी जो [खंड 4(i)(ख)(xvii)] के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है

सार्वजनिक शिकायत, आरटीआई आवेदन, निविदाएं, वार्षिक रिपोर्ट, नागरिक चार्टर, फ्रेमवर्क दस्तावेज जैसी सभी जानकारी इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.deptpub.nic.in और सीपीजीआरएम पोर्टल पर उपलब्ध है।

4.6 आरटीआई आवेदन और अपील की प्राप्ति और निपटान [एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.04.2013]

आरटीआई आवेदनों से संबंधित विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4.7 संसद में प्रश्न के उत्तर [खंड 4(i)(डी)(2)]

जानकारी इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.deptpub.nic.in पर उपलब्ध है।

5 जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है।

5.1 ऐसी अन्य सूचना जो निर्धारित की जा सकती है [एफ.सं. 1/2/2016-आईआर दिनांक 17.08.2016, [एफ.सं. 1/6/2011- आईआर दिनांक 15.04.2013]

श्रीमती लुसी ज्योति बेक, सहायक नियंत्रक (प्रशासन), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, टेलीफोन नंबर 011-23813761 ईमेल acop-dep@nic.in

श्री नरेश कुमार शर्मा, वित्तीय अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, टेलीफोन नंबर 011-23813762 ईमेल fo-dep@nic.in

अपीलीय प्राधिकारी:-

श्री संजय सिंह, निदेशक/प्रकाशन नियंत्रक, अपीलीय प्राधिकारी टेलीफोन 011- 23812527,

ईमेल cop-dep@nic.in

6. जानकारी स्वयं की पहल पर प्रकट की गई

6.1 मद/ सूचना प्रकट करना ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े

आरटीआई अधिनियम के उपयोग से संबंधित सभी जानकारी इस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.2 भारत सरकार की वेबसाइट (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देश का पालन किया जाता है (फरवरी 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय प्रक्रियाओं के केंद्रीय सचिवालय मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया))

1. एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
2. नहीं.

वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				बजट अनुमान
Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates				Budget Estimates
2021-22	2022-23	2022-23				2023-24
Expenditure व्यय	Allocation आवंटन	Allocation आवंटन	विवरण		Description	Allocation आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
			स्थापना	01.05	Establishment	
10,79,83	13,00,00	11,50,00	वेतन	01.05.01	Salaries	6,92,00
0,29,97	30,00	35,00	चिकित्सा उपचार	01.05.06	Medical Treatment	30,00
0,00	0,00	0,00	भत्ते	01.05.07	Allowances	5,00,00
0,00	0,00	0,00	छुट्टी यात्रा रियायत	01.05.08	Leave Travel Concession	08,00
0,03,35	10,00	3,00	देशीय यात्रा व्यय	01.05.11	Domestic Travel Expenses	05,00
1,17,99	1,45,00	1,70,00	कार्यालय व्यय	01.05.13	Office Expenses	1,64,50
3,55,98	5,00,00	4,70,00	मुद्रण और प्रकाशन	01.05.16	Printing and Publication	4,90,00
0,00	0,00	0,00	अन्यों के लिए किराया	01.05.18	Rent for Others	04,00
0,00	0,00	0,00	विज्ञापन और प्रचार	01.05.26	Advertising and Publicity	00,50
0,00	0,00	0,00	लघु सिविल तथा बिजली के कार्य	01.05.27	Minor Civil and Electric Works	25,00
0,00	0,00	0,00	व्यावसायिक सेवाएं	01.05.28	Professional Services	04,00
0,00	0,00	0,00	मरम्मत और रखरखाव	01.05.29	Repair and Maintenance	02,00
			सूचना प्रौद्योगिकी	01.99	Information Technology	
0,00,00	0,05,00	1,30,00	कार्यालय व्यय	01.99.13	Office Expenses	0,00,00
15,87,13	19,90,00	19,58,00	जोड़ - प्रकाशन नियंत्रक (उप शीर्ष)	...	Total - Controller Of Publications (Sub Head)	19,25,00
15,87,13	19,90,00	19,58,00	जोड़ - सरकारी प्रकाशन (लघु शीर्ष)	...	Total - Government Publications (Minor Head)	19,25,00
			आरक्षित निधि और जमा खाता में हस्तांतरण(लघु शीर्ष)	00.797	Transfer To Reserve Fund And Deposit Account(Minor Head)	
			विस्थापन आरक्षित निधि का अंतरण	01	Transfer To Depreciation Reserve Fund	